

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट (विविध)-09/2017- 1456

/खाद्य,पटना-15,दिनांक-19.08.18

प्रेषक,

गयानंद यादव,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना ।

अध्यक्ष, सभी जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार ।

सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार ।

सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, खाद्य ।

निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना ।

अपर समहर्ता, (आपूर्ति) पटना ।

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना ।

सदस्य सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य खाद्य आयोग, बिहार पटना ।

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना

विषय :-

महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक ए0ए0/बजट/17-18/1064 दिनांक 14.02.2018 के आलोक में राशि प्रत्यर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक ए0ए0/बजट/17-18/1064 दिनांक 14.02.2018 के प्रसंग में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में होने वाले व्यय के उपरान्त अवशेष राशि का प्रत्यर्पण (इकाईवार/बजट उपबंध/व्यय/प्रत्यर्पित राशि) से संबंधित प्रतिवेदन अविरोध उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि ससमय राशि का प्रत्यर्पण समेकित रूप से किया जा सके ।

विश्वनाथसिंह,

19/8
विशेष कार्य पदाधिकारी ।